



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032023-244715
CG-DL-E-27032023-244715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945

No. 182]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(न्यू मीडिया विंग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2023

सा.का.नि. 224(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1987 तथा गवेषणा और संदर्भ प्रभाग (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1986, जहां तक वे आशुलिपिक श्रेणी 3, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, दफ्तरी, चपरासी और फराश के पदों से संबंधित हैं, को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन न्यू मीडिया विंग में समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम न्यू मीडिया विंग (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि. - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता- वह व्यक्ति :-
क. जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या
ख. जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. आशुलिपिक श्रेणी-2	1*(2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 4 (25,500 - 81,100/-रु.)	लागू नहीं होता।	18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) कौशल परीक्षण मानक श्रुतलेख : 10 मिनट @ 80 शब्द प्रति मिनट प्रतिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कंप्यूटर पर)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा की स्थिति में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के	लागू नहीं होता।

		किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं हों।		लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1) निदेशक, न्यू मीडिया विंग-अध्यक्ष; 2) प्रशासनिक अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक, न्यू मीडिया विंग - सदस्य; और 3) अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या इसकी मीडिया यूनिटें - सदस्य।	
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	4*(2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 4 (25,500 - 81,100/-रु.)	अचयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	1. प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900-63,200/-रु.) में न्यू मीडिया विंग में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित,	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1) निदेशक, न्यू मीडिया विंग - अध्यक्ष; 2) प्रशासनिक अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक - न्यू मीडिया विंग - सदस्य; 3) अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयां - सदस्य।	लागू नहीं होता।

			जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। 2. प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200/-रु.) में ऐसे निम्न श्रेणी लिपिक में जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
--	--	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. निम्न श्रेणी लिपिक	6*(2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 2 (19,900 - 63,200/-रु.)।	अचयन।	18 वर्ष से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक अर्हताएं: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता। (ii) कौशल परीक्षण मानक (केवल कंप्यूटर पर): टंकण गति अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 की डिप्रेशन पर 10500 KDPH/9000 KDPH के अनुरूप हैं।

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	i) 85 प्रतिशत रिक्तियां कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। ii) 10 प्रतिशत रिक्तियां विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर भरी जाएंगी। iii) 5 प्रतिशत रिक्तियां ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगी।	प्रोन्नति :- (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000-56,900 रु.) में समूह 'ग' कर्मचारियों में से विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता है और विभागीय अर्हता परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में, तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1: - परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए 50 वर्ष की आयु) है। टिप्पण 2: - यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित खंड (i) के अधीन उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उदभूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वतर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं। (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर 1 (18,000-56,900/-रु.) में समूह 'ग' कर्मचारियों से ज्येष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1) निदेशक, न्यू मीडिया विंग - अध्यक्ष; 2) प्रशासनिक अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक - न्यू मीडिया विंग - सदस्य; प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयां - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1) निदेशक, न्यू मीडिया विंग - अध्यक्ष; 2) प्रशासनिक अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक - न्यू मीडिया विंग - सदस्य; 3) अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाइयां - सदस्य।	लागू नहीं होता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. बहुकार्य कर्मचारी वृंद	10*(2023) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग, अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 1 (18,000-56,900/- रु.)।	लागू नहीं होता।	18 से 25 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: - आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय,

					अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। टिप्पण 2: - कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आवश्यक अर्हताएं: मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य अर्हता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1) निदेशक, न्यू मीडिया विंग - अध्यक्ष; 2) प्रशासनिक अधिकारी या सहायक निदेशक या उप निदेशक - न्यू मीडिया विंग - सदस्य; और 3) अनुभाग अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अन्य मीडिया इकाईयां - सदस्य।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 11014/5/2021-एनएमसी]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव (पी&ए)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING**(NEW MEDIA WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd March, 2023

G.S.R. 224(E).—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Research and Reference Division (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1987 and Research and Reference Division (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Stenographer Gr.-III, Upper Division Clerk, Lower Division Clerk, Daftary, Peon and Farash, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' post in the New Media Wing under the Ministry of Information and Broadcasting, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the New Media Wing(Group 'C' posts) Recruitments Rules, 2023.
(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and level in pay matrix.** - The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification etc.**-The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification .- No person :-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving .-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of Post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Stenographer – Gr. II	1*(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level - 4 (Rs. 25,500 – 81,100/-).	Not-applicable.	Between 18 years and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential Qualifications: (i) 12 th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board. (ii) Skill Test Norms Dictations : 10mts @80 w.p.m. Transcription: 50mts (Eng.) 65mts. (Hindi) (on computer).

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period probation, if any.	Method recruitment whether by direct recruitment or by promotion/ or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-applicable.	Two Years.	By Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused	Not-applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering	Not-applicable.

		by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).		confirmation) consisting of : 1) Director, New Media Wing—Chairperson; 2) Administrative Officer or Assistant Director or Deputy Director, New Media Wing – Member; and 3) Section Officer or Administrative Officer, Ministry of Information and Broadcasting or its Media Units – Member.	
--	--	---	--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Upper Division Clerk.	4*(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level - 4 (Rs. 25,500 – 81,100/-).	Non-selection.	Not-applicable.	Not-applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not-applicable.	Nil for promotees.	By Promotion failing which by deputation.	1. Promotion: Lower Division Clerks level - 2 (Rs.19900-63200/-) in the pay matrix in New Media Wing with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. 2. Deputation: Lower Division Clerk level - 2 (Rs.19900-63200/-) in the pay matrix with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Central Government. Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1) Director, New Media Wing – Chairperson; 2) Administrative Officer or Assistant Director or Deputy Director - New Media Wing – Member; 3) Section Officer or Administrative Officer, Other Media Units of Ministry of Information & Broadcasting – Member.	Not-applicable.

			not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2:- Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinary not exceed three years. Note 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Lower Division Clerk.	6*(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial	Level - 2 (Rs. 19,900 – 63,200/-).	Non-selection.	Between 18 years and 27 years of age (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government. Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential Qualifications: (i) 12th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board. (ii) Skill Test Norms (only on computer): Typing speed of 35 w.p.m. in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	i) 85 per cent. by direct recruitment through Staff Selection Commission. ii) 10 per cent. of vacancies shall be filled on the basis of departmental qualifying examination. iii) 5 per cent. of the vacancies shall be	Promotion :- (i) On the basis of departmental qualifying examination from amongst the Group C Staff in level - 1 in pay matrix (Rs.18,000-56,900) and who possess 12th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination. Note 1 :- The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years (50 years of age for those who belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe.) Note 2:- If more of such	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : 1) Director, New Media Wing – Chairperson; 2) Administrative Officer or Assistant Director or Deputy Director - New Media Wing – Member; 3) Section Officer or Administrative Officer, Other Media Units of Ministry of Information and Broadcasting – Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-	Not-applicable.

		filled on seniority-cum-fitness basis employees than the number of vacancies available under Clause (i) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination. (ii) On the basis of Seniority-cum-fitness from Group 'C' employees in level- 1 in pay matrix (Rs.18,000-56,900) who have three years regular service in the Grade. Note :- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	1) Director, New Media Wing – Chairperson; 2) Administrative Officer or Assistant Director or Deputy Director - New Media Wing – Member; 3) Section Officer or Administrative Officer, Other Media Units of Ministry of Information and Broadcasting – Member.	
--	--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Multi-Tasking Staff.	10*(2023) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, Ministerial.	Level -1 (Rs. 18,000 - 56,900/-).	Not-applicable.	Between 18 to 25 years of age. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1 :- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahual and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2 :- In the case of recruitment made through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential Qualifications: 10 th Class pass or equivalent qualification from a recognized Board.	Not-applicable.	Two years.	By direct recruitment.	Not-applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of : 1) Director, New Media Wing – Chairperson; 2) Administrative Officer or Assistant Director or Deputy Director - New Media Wing – Member; and 3) Section Officer or Administrative Officer, Other Media Units of Ministry of Information and Broadcasting – Member.	Not-applicable.

[F. No. 11014/5/2021-NMC]

VIKRAM SAHAY, Jt. Secy. (P&A)